12
बालक एवं कार्य

प्रस्तावना:

12.1 भारत सरकार के लिए बाल श्रम उन्मूलन चिंता एवं वचनबद्धता का विषय है। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने बालकों के लिए अनिवार्य सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा के साथ-साथ बालकों को आर्थिक गतिविधियों में एवं उनकी आयु के प्रतिकूल व्यवसायों में उलझने से बचाने के लिए श्रम संरक्षण का प्रबंध करने के लिए संगत उपबंधों को संविधान में सावधानी से समाविष्ट किया । हाल में संविधान संशोधन के बाद 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए शिक्षा का अधिकार अब एक मूलभूत अधिकार हो गया है । **बॉक्स 1** में विभिन्न संवैधानिक उपबंध दिए गए हैं जिनका उद्देश्य बालकों को रोजगार से रोकना है।

बॉक्स 1 : संवैधानिक उपबंध	
अनुच्छेद 21 क **शिक्षा का अधिकार** राज्य नियम द्वारा निर्धारित करके 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करेगा । **अनुच्छेद 24** **कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध ।** चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा ।	**अनुच्छेद 39** **राज्य अपनी नीति का, विशिष्टतया, इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से :-** ड.) पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के प्रतिकूल हों ।

12.2 संवैधानिक उपबंधों के अनुकूल देश ने बाल श्रम उन्मूलन के लिए आवश्यक अधिनियम भी बनाया है और विकासात्मक उपायों को कार्यान्वित किया है ।

12.3 फिर भी, सरकार के प्रयासों के बावजूद भी निर्धनता एवं निरक्षता के कारण बाल श्रम की समस्या अभी भी बरकरार है । वर्ष 2001 में भारत के महापंजीयक द्वारा दिए गये आँकड़े के अनुसार हमारे देश में 1991 में 1.13 करोड़ की तुलना में वर्ष 2001 में कार्यरत बालकों (5-14 वर्ष) की संख्या 1.26 करोड़ थी। बाल श्रम जनसंख्या का राज्यवार आँकड़ा दर्शाता है कि देश में बाल श्रमिकों की संख्या उत्तर प्रदेश में (0.19 करोड़) सबसे अधिक है, इसके बाद आन्ध्रप्रदेश (0.14 करोड़), राजस्थान (0.13 करोड़) और बिहार (0.10 करोड़) में है। 90 प्रतिशत से अधिक बाल श्रमिक ग्रामीण क्षेत्रों में लगे हैं जो कृषि एवं सम्बद्ध उद्योगों जैसे जुताई, कृषि श्रम, पशुधन, वानिकी एवं मात्स्यिकी में कार्य करते हैं ।

कार्य पर बालकों के कानूनी संरक्षण

12.4 कारखानों, खानों एवं परिसंकटमय नियोजनों में 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों के नियोजन को रोकना एवं अन्य नियोजनों में बालकों की कार्य स्थिति को नियंत्रित करना भारत सरकार की नीति है। बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने की कोशिश करता है । अधिनियम की अनुसूची भाग - **क** एवं **ख** में सूचीबद्ध व्यवसायों एवं प्रक्रियायों में बालकों के नियोजन से यह अधिनियम प्रतिषेध करता है । यह अधिनियम अन्य नियोजनों (जो बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम, 1986 के अंतर्गत प्रतिषेध नहीं हैं) में बालकों की कार्यस्थिति को भी नियंत्रित करता है ।

12.5 अधिनियम की अनुसूची में अन्य व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं के जोड़ने के प्रयोजन में केन्द्र सरकार को सलाह देने हेतु बाल श्रम तकनीकी सलाहकार समिति (जोकि विशेषज्ञों का निकाय है) का गठन करने के लिए यह अधिनियम प्रबंध करता है। समिति के अध्यक्ष तथा अधिकतम 10 सदस्यों को केन्द्र सरकार नियुक्त करती है। तकनीकी सलाहकार समिति की सिफारिश पर पिछले पाँच वर्षों के दौरान अधिनियम की अनुसूची में अंकित जोखिमपूर्ण व्यवसायों की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गयी है तथा प्रक्रियाओं की संख्या 18 से बढ़कर 57 हो गई है।

12.6 बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 को कार्यान्वित करने का अधिकार राज्य सरकार को दिया है । राज्य में श्रम विभाग को अपने निरीक्षणालय तंत्र के जरिए प्रवर्तन करने का अधिकार है ।

बाल श्रम पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

12.7 बाल श्रम उन्मूलन के विषय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी विचार - विमर्श किया गया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 10.12.1996 को रिट याचिका (सिविल) संख्या 465/1986 में अपना निर्णय देते हुए जोखिमपूर्ण व्यवसायों में कार्यरत बालकों को वहाँ से हटाकर उनके पुनर्वास की व्यवस्था करने तथा जोखिम रहित व्यवसायों में कार्यरत बालकों की कार्य परिस्थितियों को व्यवस्थित करने तथा सुधारने के संबंध में कुछ स्पष्ट निर्देश दिए हैं ।

12.8 दिनांक 10.12.1996 के निर्णय में दिए गये महत्वपूर्ण निर्देश: (क) छह मास के भीतर जोखिमपूर्ण व्यवसायों में लगे बाल श्रमिकों का सर्वेक्षण किया जाए; (ख) बाल श्रम अधिनियम का उल्लंघन कर बाल श्रमिकों को काम पर लगाने वाले नियोजकों से जुर्माने के रूप में रुपए 20, 000/- की रकम वसूल की जाए; (ग) बाल श्रमिक परिवार के किसी बड़े सदस्य को उसी उद्योग में वैकल्पिक काम दिया जाए जहाँ बालक काम करता था; अथवा जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे प्रत्येक बाल श्रमिक को संबंधित सरकार द्वारा रुपए 5000/- की राशि का भुगतान किया जाए ;(घ) काम से निकाले गए बालकों के परिवार को समग्र निधि के रुपए 25,000/- (रुपए 20,000/- नियोजक के तथा रुपए 5,000/- सरकार के) की समस्त आय दी जाए ; (ड़) बाल श्रमिकों को काम से निकालने के बाद शिक्षा दिलाने के लिए उपयुक्त संस्था में भेजने का प्रावधान किया जाए (च) बाल श्रम पुनर्वास - सह - कल्याण निधि का गठन किया जाए ; (छ) उपर्युक्त निर्देशों को सुनिश्चित करने हेतु अनुवीक्षण की दृष्टि से संबंधित सरकार के श्रम विभाग में एक अलग कक्ष का गठन किया जाए ।

12.9 7 मई, 1997 को सर्वोच्च न्यायालय ने रिट याचिका सिविल संख्या 12125/84 एवं 11643/85 बन्धुवा मुक्ति मोर्चा आदि (प्रार्थी) बनाम भारत सरकार एवं अन्य (प्रतिवादी) में भी बाल श्रम को पहचानने, मुक्त करने तथा पुनर्वास करने के संबंध में अनेक निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ न्यायालय ने सिविल रिट याचिका संख्या 465/86 में बताई गई योजना के अनुकूल सभी नियोजनों में 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को नौकरी में लगाने को क्रमिक रूप से बहिष्कार करने के लिए सिद्धान्तों / नीतियों को तैयार करने हेतु राज्य सरकारों की बैठक बुलाने का निदेश दिया । ये निदेश उत्तर प्रदेश राज्य में कालीन उद्योगों में बालकों के नियोजन के प्रसंग में न्यायालय द्वारा दिए गये थे। इस मामले में न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को निम्नलिखित निदेश दिए :

- बालकों की नियोजन शर्तों की जाँच - पड़ताल की जाए;
- 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के नियोजन को पूरी तरह प्रतिषेध करते हुए उपयुक्त कल्याणकारी निदेश जारी किए जाएं; और
- शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, पौष्टिक आहार आदि जैसी सुविधाओं का प्रबंध किया जाए ।

12.10 सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है तथा राज्य / संघ प्रदेश सरकारों से समय-समय पर प्राप्त सूचना के आधार पर निर्देश के अनुपालन की स्थिति माननीय न्यायालय को बताई जा रही है ।

राष्ट्रीय बाल श्रम नीति

12.11 नियोजन के विरुद्ध बालकों के संरक्षण के लिए प्रबंध किए गये संवैधानिक एवं कानूनी उपबंधों को सन् 1987 में घोषित राष्ट्रीय बाल श्रम नीति में भी सम्मिलित किया गया था । नीति में बाल श्रम के जटिल मुद्दा को व्यापक, समग्र एवं समेकित ढंग से निपटाने के बारे में बताया गया है। इस नीति के अंतर्गत कार्ययोजना बहुमुखी है और इसमें निम्नलिखित बातें सम्मिलित हैं :

i) वैधानिक कार्ययोजना ;

ii) बालकों के परिवार के हित में सामान्य विकास कार्यक्रमों के आयोजन पर ध्यान देना ; और

iii) अधिक बाल श्रमिकों से भरे क्षेत्रों में परियोजना पर आधारित कार्ययोजना ।

12.12 इस नीति के अनुसरण में श्रम और रोजगार मंत्रालय राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम (एन सी एल पी) को कार्यान्वित कर रहा है जोकि परियोजना आधारित कार्य योजना है । पहचाने गए खतरनाक व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में कार्य कर रहे बालकों को रोजगार से वापस बुलाने एवं पुनर्वास करने के उद्देश्य के साथ-साथ इस कार्यक्रम के अंतर्गत , 7वीं योजना के दौरान 12 राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाएं (एन सी एल पी) प्रारंभ की गई थीं । ये 12 राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाएं आन्ध्रप्रदेश (जग्गमपेट एवं मार्कापुर), बिहार (गढ़वाह), मध्यप्रदेश (मंदसौर), महाराष्ट्र (थाणे), उड़ीसा (सम्बलपुर), राजस्थान (जयपुर), तमिलनाडु(शिवकाशी) एवं उत्तरप्रदेश (वाराणसी - मिर्जापुर - भदोही, मुरादाबाद, अलीगढ़ और फिरोजाबाद) में प्रारंभ की गई थीं।

12.13 बाद में, जोखिमपूर्ण व्यवसायों में कार्यरत बालकों को वापस बुलाने और विशेष विद्यालयों के जरिए उन्हें पुनर्वास करने का बृहद कार्यक्रम 15 अगस्त, 1994 को आरंभ किया गया था । इस कार्यक्रम एवं सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप 12 सतत् परियोजनाओं के अलावा 64 क्षेत्र - आधारित परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई थी । नौवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम को 13 राज्यों में 100 जिलों में विस्तारित किया गया था ।

12.14 दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्यमान 100 बाल श्रम परियोजनाओं को निरंतर चलाने के लिए सरकार ने अनुमोदन दे दिया है । सरकार ने 150 अतिरिक्त बाल श्रम परियोजनाओं की स्थापना के लिए भी अनुमोदन दे दिया है । इसलिए, 10वीं पंचवर्षीय योजना में स्कीम को 20 राज्यों के 250 जिलों में लागू किया जाएगा । सभी 150 अतिरिक्त जिलों को निर्धारित कर दिया गया है और नये निर्धारित जिलों में स्कीम का कार्यान्वयन करने के प्रयास पहले से ही किये जा रहे हैं । राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम के अंतर्गत निर्धारित किए गये जिलों की सूची **अनुलग्नक - क** में दी गई है । 10वीं पंचवर्षीय योजना के लिए व्यय को पिछली योजना अवधि की तुलना में रु. 250 करोड़ से रुपये 667 करोड़ तक बढ़ाया गया है (इण्डस परियोजना में श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंशदान सहित) ।

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एन. सी. एल. पी.) स्कीम

12.15 राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम केन्द्र सरकार की योजना है। परियोजना के कार्यान्वयन का निरीक्षण करने के लिए कलेक्टर/जिलाधीश की अध्यक्षता में जिला स्तर पर स्कीम के अंतर्गत परियोजना सोसाइटी स्थापित की गई हैं । नागरिकों एवं गैर सरकारी संगठनों को सम्मिलित करने के अनुदेश जारी कर दिए गये हैं ।

12.16 पहचाने गए जोखिमपूर्ण व्यवसायों तथा प्रक्रियाओं में कार्यरत बालकों को मुक्त कराकर विशेष पाठशालाओं के माध्यम से पुनर्वासित करके अंततः उन्हें औपचारिक शिक्षा पद्धति की मुख्यधारा में लाना परियोजना का उद्देश्य है। प्रत्येक विशेष विद्यालय 50 बालकों का नाम दर्ज करता है। प्रत्येक विशेष विद्यालय के लिए 2 शैक्षिक अनुदेशक एवं एक व्यावसायिक अनुदेशक का प्रावधान है। प्रत्येक बालक को 100 रु. प्रतिमाह की दर से स्टाइपेण्ड (छात्रवृत्ति) दिया जाता है और प्रत्येक बालक को प्रतिदिन 5 रुपये की दर से दोपहर का भोजन भी प्रदान किया जाता है। इसके अलावा बालकों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण देना एवं स्वास्थ्य की जाँच करना स्कीम के अंतर्गत अनिवार्य कर दिया गया है।

12.17 कुल 203850 बालकों को प्रशिक्षित करने के लिए सितम्बर, 2004 - 2005 तक 4077 विशेष विद्यालयों को स्वीकृति दे दी गई है। स्कीम आरंभ होने से अब तक 3.22 लाख बालकों को मुख्यधारा में लाया गया है ।

दसवीं योजना की रणनीति

12.18 बाल श्रम का कारण सामान्यतः निर्धनता एवं व्यापक निरक्षरता समझा जाता है । इसलिए समस्या का समाधान करने के लिए बहुमुखी, एकीकृत एवं समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है । समस्या की प्रकृति एवं आकार पर विचार करते हुए जोखिमपूर्ण व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में कार्यरत बालकों को क्रमिक रूप से हटाने और पुनर्वासित करने का दृष्टिकोण अपनाया गया है ।

12.19 दसवीं योजना में बाल श्रम बहिष्करण की नीतियाँ एवं कार्यक्रम जारी रहेंगे और उन पर अधिक ध्यान दिया जाएगा । इस अवधि के दौरान इसे निश्चित किया जाना है कि परियोजना सोसाइटी द्वारा किए गये सर्वेक्षण द्वारा पहचाने गए जोखिमपूर्ण व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में कार्यरत सभी बालक व्यवसाय से निकाले जा रहे हैं और उन्हें औपचारिक शिक्षा पद्धति की मुख्यधारा में लाया गया है । सरकार ने निश्चय किया कि जिला स्तर पर प्रवर्तन को प्रभावी बनाकर बाल श्रमिकों को इस ढंग से मुख्यधारा में लाया जाए ताकि 10वीं योजना अवधि की समाप्ति तक जोखिमपूर्ण क्षेत्रों से बाल श्रमिकों के संपूर्ण बहिष्करण को हासिल किया जा सके ।

12.20 मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सर्व शिक्षा अभियान के साथ उन्हें जोड़कर दसवीं योजना में बाल श्रम बहिष्करण प्रयास मजबूत किए जा रहे हैं । इसके अंतर्गत 5-8 वर्ष की आयु-समूह के बाल श्रमिक औपचारिक विद्यालयों के जरिए सीधे मुख्यधारा में लाये जाएंगे। 9 से 14 वर्ष की आयु समूह के बाल श्रमिक राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं के विशेष विद्यालयों के जरिए औपचारिक शिक्षा प्रणाली से मुख्यधारा में लाए जाएंगे । इसके अलावा, दसवीं योजना के दौरान औपचारिक विद्यालय प्रक्रिया को गुणवत्ता एवं संख्या दोनों के विषय में मजबूत की जाएगी।

12.21 उपर्युक्त के अतिरिक्त राज्य, जिला, मण्डल एवं लघु स्तर पर स्वास्थ्य मंत्रालय, ग्रामीण विकास/ सामाजिक न्याय मंत्रालय आदि जैसे अन्य मंत्रालयों / विभागों की चालू योजनाओं के साथ एकस्थ करके समयबद्ध तरीके से बाल श्रम उन्मूलन के उद्देश्य को प्राप्त करने की आवश्यकता है ।

12.22 कुछ महत्वपूर्ण पैरामीटरों को जोड़ने / सुदृढ़ बनाने के लिए भी राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम को संशोधित कर दी गई है । संशोधित योजना के निम्न प्रावधान हैं ;

- प्रत्येक राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना जिले के लिए एक प्रवीण व्यावसायिक प्रशिक्षक। इससे व्यावसायिक प्रशिक्षण सुदृढ़ हो जाएगा ।

- बालकों के प्राथमिक स्वास्थ्य इलाज हेतु प्रत्येक 20 विद्यालयों के लिए एक चिकित्सक ।

- विशेष विद्यालयों में बालकों के पोषण सम्बन्धी प्रावधान की राशि प्रति दिन प्रति बालक को रुपये 2.50 से प्रति दिन प्रति बालक को रुपये 5.00 तक दुगुना कर दी गई है ।

- प्रति बालक को प्रतिमाह 100 रु. की छात्रवृत्ति वितरित करने की वर्तमान व्यवस्था के बदले में, संशोधित योजना में, मासिक छात्रवृत्ति बालक के बैंक खाता में नियमित रूप से जमा की जाएगी और उसे सामान्य विद्यालय की मुख्यधारा में लाने के समय एकमुश्त राशि वितरित की जाएगी ।

- राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना विद्यालयों को चलाने में सहायता करने के लिए जिला स्तर पर स्वैच्छिक संगठनों को बड़े पैमाने पर सम्मिलित करना। केवल स्वीकृत एवं प्रतिबद्ध गैर सरकारी संगठनों के जरिए पुनर्वास विद्यालयों को चलाने को प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना के दौरान प्रयास करना होगा ताकि ऐसे विद्यालयों को चलाने में सरकारी मशीनरी पर अधिक भार न पड़े।

12.23 उपर्युक्त रणनीति को अपनाने और प्रवर्तन की वर्तमान संस्थापित प्रक्रियाओं से इसे मिलाने से यह आशा की जाती है कि योजना अवधि की समाप्ति तक बाल श्रमिकों में प्रबल कमी आएगी ।

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम का मूल्यांकन

12.24 सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की अध्यक्षता में संबंधित मंत्रालयों / विभागों और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं के समग्र पर्यवेक्षण, अनुवीक्षण तथा मूल्यांकन के लिए एक केन्द्रीय अनुवीक्षण समिति का गठन किया गया था। केन्द्रीय अनुवीक्षण समिति के समकक्ष राज्य स्तरीय अनुवीक्षण समितियों का गठन करने हेतु राज्य सरकारों को लिखा गया है । रा. बा. श्र. प. के प्रचालन की गति तथा प्रगति का अनुवीक्षण करने हेतु जिला तथा राज्य स्तर पर कार्रवाई भी की जा रही है। परियोजना संस्था को परियोजना प्रचालन शिक्षकों का चयन तथा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम के विषय तथा विषय साहित्य, अध्ययन प्रतिफल का मूल्यांकन, बालकों को मुख्य धारा में लाने से संबंधित विषयों पर विस्तृत अनुदेश दिए गए हैं ।

12.25 2001 में स्वतंत्र एजेसियों द्वारा देश में कार्यरत राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं का मूल्यांकन करने हेतु विस्तृत प्रयास किया गया। प्रथम चरण में 50 राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया। इस मूल्यांकन प्रयास में वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा का सहयोग लिया गया था। दसवीं योजना की रणनीति तैयार करते समय मूल्यांकन अभियान की सिफारिशों को विचार में लिया गया है ।

12.26 मूल्यांकन के निष्कर्ष तथा सिफारिश निम्नलिखित हैं :

- अधिकांश क्षेत्रों में, समुदाय ने रा. बा. श्र. प. (एन. सी.एल. पी.) विद्यालयों को खोलने का स्वागत किया ।
- अपने बच्चों को विशेष पाठशाला में भेजने के लिए दोपहर का भोजन तथा छात्रावृत्ति (स्टाइपेंड) का प्रावधान अभिभावकों को प्रेरित करने में मुख्य भूमिका निभा रही है।
- शिक्षकों /प्रशिक्षकों को जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डीपीईपी) द्वारा प्रशिक्षित किए जाने अथवा उन्हें जिला में स्थित डी आई ई टी / डी आर यू द्वारा क्रमबद्ध तरीके से प्रशिक्षित किए जाने के प्रयास सफल हुए हैं ।
- नौवीं योजना में औपचारिक अथवा अनौपचारिक शिक्षा पद्धति को चुनने का विकल्प जिलों को दिया गया था । यह देखा गया था कि उन जिलों के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना केन्द्रों से औपचारिक पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने वाले बालकों को मुख्यधारा में लाना बहुत आसान था ।
- अध्यापन - अध्ययन सामग्री की पर्याप्त एवं यथासमय आपूर्ति करने की आवश्यकता है । राष्ट्रीय स्तर पर अथवा कम से कम राज्य स्तर पर एक समान पाठ्यक्रम होने की आवश्यकता की छानबीन की जानी चाहिए ।
- बालकों को औपचारिक विद्यालयों में प्रवेश करने में मदद् करने हेतु उनकी अध्ययन उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए क्रमबद्ध तरीके से परीक्षाएँ आयोजित करने की आवश्यकता है ।

- बालकों को औपचारिक विद्यालयों की मुख्य धारा में लाए जाने के बाद, विद्यालयों में उनकी प्रगति का अनुवीक्षण करने तथा नए पाठ्यक्रम को समझने में हो रही कठिनाइयों का समाधान करने में उनको मदद् करने के संबंध में "अनुवर्ती कार्रवाई" सुनिश्चित करने के लिए कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है ।
- परियोजना सोसाइटी में पूर्णकालिक तथा अंशकालिक परियोजना निदेशक दोनों पाए जाते हैं। रा.बा.श्र.प. की गतिविधियों में गति लाने हेतु पूर्णकालिक परियोजना निदेशक की नितांत आवश्यकता है ।
- कुछ राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना जिलों ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के कार्यक्रमों के साथ प्रभावी रूप से एकस्थ कर दिया है । फिर भी, ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ एकस्थ को मजबूत करने की आवश्यकता है ।

जिलाधीशों / परियोजना निदेशकों की सीमा

12.27 मंत्रालय, विद्यमान राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम के कार्यों की समीक्षा करने के लिए नियमित आधार पर कार्यशालाएं आयोजित कर रहा है । चालू वित्तीय वर्ष के दौरान नौवीं योजना के दौरान कार्यान्वयन के अधीन विद्यमान 100 जिलों और 10वीं योजना में चालू रहे जिलों तथा जनवरी, 2004 में योजना में सम्मिलित हुए 50 नये जिलों के लिए भी सितम्बर, 2004 में कार्यशालाएं आयोजित की गई थीं।

12.28 कार्यशाला के दौरान परियोजना निदेशकों को भारत में बाल श्रम उन्मूलन प्रयासों के उदय के बारे में बताया गया था और उन्हें व्यावहारिक रूप में बाल श्रम की परिभाषा समझने के महत्व के बारे में बताया गया था। कार्यरत बालकों को रोजगार से मुक्त कराने, पुनर्वास दिलाने तथा अंत में मुख्यधारा में लाने के लिए अनिवार्य रूप से परियोजना सोसाइटी की भूमिका निभाने पर जोर दिया गया था। यह बताया गया कि स्कीम का मुख्य उद्देश्य जोखिमपूर्ण व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में कार्यरत बालकों का सर्वेक्षण एवं पहचान करना, पहचाने गए बालकों को कारखाना / कार्य वातावरण से मुक्त कराना तथा विशेष विद्यालयों के जरिए उन्हें पुनर्वास दिलाना और उन्हें अंततः औपचारिक शिक्षा पद्धति की मुख्यधारा में लाना था । परियोजना निदेशकों को जिला में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों जैसे अन्य विकासात्मक योजनाओं के साथ एकस्थ करने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता के बारे में बताया गया था । व्यावसायिक प्रशिक्षण के संबंध में यह बताया गया था कि जिले में आर्थिक रूप से सक्षम कौशलों / ट्रेड्स में प्रवीण शिक्षक के रूप में स्थानीय शिल्पकारों को बालकों के प्रशिक्षण के लिए सम्मिलित किया जाए। निदेशकों से संशोधित योजना के अंतर्गत बढ़ाए गए पैरामीटरों (निर्धारित सीमाओं) का कार्यान्वयन करने के कदम उठाने के लिए अनुरोध किया गया था।

स्वैच्छिक संगठनों के लिए सहायता

12.29 वर्ष 2004 - 05 के दौरान बाल श्रम के पुनर्वास के लिए कार्योन्मुख परियोजनाओं की जिम्मेवारी लेने के लिए सहायता अनुदान योजना के अंतर्गत 87 स्वैच्छिक संगठनों /गैर सरकारी संगठनों को परियोजना कीमत की 75% राशि की वित्तीय सहायता दी जा रही है । सहायता प्राप्त गैर सरकारी संगठनों से आवधिक रिपोर्ट केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के पदाधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय दौरे इन परियोजनाओं के अनुवीक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ।

बाल श्रम पर राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र (बा. श्र. रा. सं. के.)

12.30 श्रम और रोजगार मंत्रालय एवं यूनीसेफ की वित्तीय सहायता से मार्च, 1993 में वी. वी. गिरि, राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा, उ.प्र. में बाल श्रम पर राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र (एन. आर. सी. सी. एल) की स्थापना की गई । केन्द्र को बाल श्रम पर प्रलेखीकरण, आंकड़ों (डाटा बैंक) की रचना एवं प्रकाशन, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, मीडिया प्रबंधन एवं तकनीकी समर्थ सेवाएं आदि कार्य सौंपा गया है । केन्द्र का मुख्य उद्देश्य है

राष्ट्रीय एवं राज्य सरकारों, गैर सरकारी संगठनों, नीति निर्माताओं एवं बाल श्रम के क्षेत्र में लगे अन्य सामाजिक समूहों को भारत में बाल श्रम के प्रगामी उन्मूलन में अनुसंधान, प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता, समर्थन, मीडिया प्रबंधन, प्रलेखीकरण, प्रकाशन एवं वितरण के माध्यम से सहायता प्रदान करना । पश्चिम बंगाल में इस मंत्रालय की सहायता अनुदान योजना का मूल्यांकन और बूचड़खाना एवं सम्बद्ध गतिविधियों में बाल श्रम पर विषय अध्ययन उनकी कुछ मुख्य अनुसंधान गतिविधियों में सम्मिलित है। बाल श्रम पर राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र (एन.आर.सी. सी. एल.) बाल श्रम परियोजनाओं में लगे कार्मिकों के लिए अभिविन्यास एवं संवेदनशील कार्यक्रम भी आयोजित कर रहा है ।

बाल श्रम बहिष्करण पर अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम (आईपेक)

12.31 "बाल श्रम बहिष्करण पर अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम" एक वैश्विक कार्यक्रम है जिसे अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा दिसम्बर, 1991 में आरंभ किया गया । सन् 1992 में इस कार्यक्रम में शामिल होने वाला पहला देश भारत था जिसने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। दिनांक 31.12.1996 को समाप्त समझौता ज्ञापन की अवधि को बाद में समय - समय पर बढ़ा दी गई है और हाल ही में सितम्बर, 2006 तक इसे बढ़ा दी गई है । आइपेक का दीर्घ कालिक उद्देश्य बाल श्रम के प्रभावी उन्मूलन में योगदान प्रदान करना है । इसके तात्कालिक उद्देश्य निम्न हैं :

- बाल श्रम बहिष्करण के लिए कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाने, कार्यान्वयन करने एवं मूल्यांकन करने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के घटकों एवं गैर सरकारी संगठनों की क्षमता को बढ़ाना;
- समुदाय एवं राष्ट्रीय स्तरों पर अनुकरण योग्य मध्यस्थताओं को पहचाााा; और
- बाल श्रम बहिष्करण के अनुकूल जागरूकता उत्पन्न करना एवं सामाजिक परिवर्तन लाना ।

12.32 अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रतिनिधियों, दाताओं एवं सहभागी देशों से बनी कार्यक्रम संचालन समिति आइपेक की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समिति है । भारत में राष्ट्रीय स्तर पर श्रम और रोजगार सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्र संचालन समिति गठित की गई है । यह त्रिपक्षीय संगठन है जिसके गैर - सरकारी संगठन के प्रतिनिधि भी सदस्य हैं । राष्ट्रीय संचालन समिति की सन् 2004 में 2 जुलाई एवं 24 अगस्त, 2004 को 02 बैठकें आयोजित की गईं ।

12.33 आईपेक - इण्डिया ने 1992- 2002 की अवधि में 165 से अधिक कार्य योजनाओं को सहायता किया है । भारत सरकार एवं अमेरिका का श्रम विभाग ने महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली जैसे पाँच राज्यों के 21 जिलों में 10 जोखिमपूर्ण क्षेत्रों में बाल श्रम उन्मूलन के उद्देश्य से 40 मिलियन अमेरिकी डालर से परियोजना भी आरंभ कर दिया है । इस परियोजना का प्रचलित नाम **"इण्डस"** है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है । इस परियोजना द्वारा अनुमानत: 80,000 बालकों को मुक्त कराकर उन्हें पुनर्वासित कराया जाएगा । भूतपूर्व बाल श्रमिकों के 10,000 परिवारों को सहायता भी दी जाएगी । (संलग्नक ख में 21 जिलों की सूची दी गई है)

12.34 इसके अलावा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने आन्ध्रप्रदेश में राज्य पर आधारित परियोजना के प्रथम चरण को कार्यान्वित भी कर दिया है । राष्ट्रीय संचालन समिति ने आन्ध्रप्रदेश परियोजना के दूसरे चरण को भी अनुमोदित कर दिया है । दूसरे चरण में राज्य के दो सबसे अधिक बाल श्रमिक वाले जिलों अर्थात् महबूबनगर एवं कर्नूल पर परियोजना ध्यान देगी । परियोजना शहरी क्षेत्रों की विशेष समस्याओं पर भी ध्यान देगी और हैदराबाद शहर के लिए रणनीति तैयार करने का प्रयास करेगी ।

12.35 हाल ही में आयोजित आइपेक कार्यक्रम संचालन समिति की बैठक सहित विभिन्न फोरा में बल दिया गया है कि सदस्य राज्यों की राष्ट्रीय नीतियों, प्राथमिकताओं एवं कार्यक्रमों के संयोजन से आइपेक की गतिविधियाँ आयोजित की जानी चाहिए । सम्बन्धित सदस्य राज्य को चाहिए कि वे आइपेक के अंतर्गत की जानेवाली गतिविधियों की पूरी जानकारी रखें। राष्ट्रीय संचालन समिति द्वारा सिफारिश किए गए सभी प्रस्तावों पर शीघ्र कार्रवाई की जानी चाहिए और समय से मंजूरी की सूचना के साथ - साथ धन भी दे देना चाहिए। भारत में आइपेक की गतिविधियों हेतु निधि बढ़ाने की आवश्यकता और विशिष्ट परियोजनाओं के बजाए मूल निधि हेतु अंशदान देने पर बल दिया गया है ।

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना जिलों की राज्यवार सूची

संलग्नक -क

क्रमांक	राज्य का नाम		जिलों का नाम
1	आन्ध्रप्रदेश	विद्यमान जिला	अनन्तपुर, चित्तूर, कडपा, ईस्ट गोदावरी, गुण्टूर, हैदराबाद, करीमनगर, कर्नूल, मेदक, नलगोण्डा, खम्मम, नेल्लूर, निजामाबाद, मार्कापुर, रंगारेड्डी (एम. वी. फाउण्डेशन सहित), श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखपट्टणम, वरंगल, वेस्ट गोदावरी, महबूबनगर, आदिलाबाद ।
		नया जिला	कृष्णा
2	बिहार	विद्यमान जिला	नालंदा, सहरसा, जमुई
		नया जिला	कटिहार, अररिया, गया, पूर्व चम्पारन, पश्चिम, चम्पारन, मधेपुरा, पटना, सुपौल, समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, नवादा, खगरिया, सीतामढ़ी, किशनगंज, बेगुसराय, बंका, सारन, पूर्णिया, भागलपुर
3	झारखण्ड	विद्यमान जिला	गढ़वाह, साहिबगंज, दुमका, पाकुर, पश्चिम सिंघभूम (चाइबासा)
		नया जिला	गुमला, पलामू, रांची, हजारीबाग
4	कर्नाटका	विद्यमान जिला	बीजापुर, रायचूर, धारवाड़, बेंगलूर रूरल, बेंगलूर अरबन
		नया जिला	बेलगाम, कोप्पल, तुमकूर, दावनगेरे, हवेरी, मैसूर, बागलकोट, चित्रदुर्गा, गुलबर्गा, बेल्लारी, कोलार, माण्ड्या
5	मध्यप्रदेश	विद्यमान जिला	मंदसौर, ग्वालियर, उज्जैन
		नया जिला	बरवनी, रीवा, धार, पूर्वी निमर, राजगढ, छिंदवाड़ा, शिवपुरी, सिधि, गुना, बैतूल, शाजपुर, रतलाम, पश्चिम निमर, झबुआ
6	छत्तीसगढ़	विद्यमान जिला	दुर्ग, बिलासपुर, राजनंदगाँव, सुरगुजा, रायगढ़
		नया जिला	दांतेवाड़ा, रायपुर, कोरबा
7	महाराष्ट्र	विद्यमान जिला	सोलापुर, थाणे
		नया जिला	पुणे, अहमदनगर, सांगली, कोल्हापुर, जलगाँव, नन्दूरबार, नांदेड, नासिक, यावतमाल, धुले, बीड़

8	उड़ीसा	विद्यमान जिला	अनगुल, बरगढ़, बोलंगीर, देवगढ़, गजपति (उदयगिरि), गंजाम, झारसुगुडा, कालाहाण्डी, कोरापुट, मल्कनगिरि, मयूरभंज, नबरंगपुर,नुआपाढ़ा, रायगडा, सम्बलपुर, सोनेपुर, कटक, बालासोर
		नया जिला	--
9	राजस्थान	विद्यमान जिला	जयपुर, उदयपुर, टोंक, जोधपुर, अजमेर, अलवर
		नया जिला	जलोर, चुरु, नागौर, चित्तौड़गढ, बांसवाड़ा, धौलपुर, सिकर, डुंगरपुर, भरतपुर, बिकानेर, झुनझुनुं, बुंदी, झालवार, पाली, भिलवाड़ा, गंगानगर, बरमेर
10	तमिलनाडु	विद्यमान जिला	चिदम्बरनार (तुतीकोरिन), कोयम्बतूर, धर्मपुरी, वेलूर, पुदुक्कोट्टै, सेलम, तिरुचिरापल्ली, तिरुनेल्वेली
		नया जिला	कृष्णागिरि, चेन्नै, ईरोड, दिंडिगल
11	उत्तरप्रदेश	विद्यमान जिला	वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही, बुलंदशहर, (खुर्जा), सहारनपुर, आजमगढ़
		नया जिला	मुजफ्फरपुर, गोण्डा, खीरी, बहराइच, बलरामपुर, हरदोई, बाराबंकी, सीतापुर, फैजाबाद, बदायूँ, गोरखपुर, कुशीनगर, महराजगंज, सिद्धार्थनगर, रायबरेली, उन्नाव, सुल्तानपुर, फतेहपुर, श्रावस्ती, प्रतापगढ़, बस्ती, सोनभद्र, मऊ, देवरिया, बांदा, गाजियाबाद, जौनपुर,रामपुर, बरेली, लखनऊ, मेरठ, इटावा, आगरा, गाजीपुर, मथुरा
12	पश्चिम बंगाल	विद्यमान जिला	बर्दवान, दक्षिण दिनाजपुर, मेदिनिपुर, नार्थ 24 परगना, साऊथ 24 परगना, उत्तर दिनाजपुर, मुर्शिदाबाद, कोलकाता
		नया जिला	माल्दा, बांकुडा, पुरुलिया, बीरभूम, नोदिया, हुगली, हावड़ा, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, ईस्ट मेदिनीपुर
13	पंजाब	विद्यमान जिला	जालंधर, लुधियाना, अमृतसर
14	जम्मू एवं कश्मीर	नया जिला	जम्मू, श्रीनगर, उधमपुर
15	अरुणाचल प्रदेश	नया जिला	लोवर सुबनसिरि
16	असम	नया जिला	नगांव, कोक्रझर, लखीमपुर
17	गोवा	नया जिला	गोवा
18	उत्तरांचल	नया जिला	देहरादून
19	गुजरात	विद्यमान जिला	शून्य
		नया जिला	सूरत, पंचमाचल, भुज, बनासकांठा, दोहड़, वड़ोदरा, भावनगर, अहमदाबाद, राजकोट
20	हरियाणा	विद्यमान जिला	शून्य
		नया जिला	गुड़गाँव, फरीदाबाद, पानीपत
21	मिजोरम	विद्यमान जिला	शून्य
		नया जिला	एजवल